न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या– 100/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
दामलाल पुत्र नारायणलाल जाति बाह्मण निवासी खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. नेमीचन्द पुत्र नारायणलाल जाति बाह्मण निवासी खारिया मिठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठोड़ अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :–

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 2.7991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1761 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1767 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1770 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1771 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1772 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1773 रकबा 0.6148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1776 रकबा 2.9043 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1778 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1779

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 5.0401 हैक्टेयर कुल खसरे 16 कुल रकबा 19.6263 हैक्टयर स्थित है। यह भूमि वादी को माता श्रीमती गोता देवी पत्नी नारायणलाल को सयुक्त खातेदारी की थी। श्रीमती गीता देवी के तीन पुत्र दामूलाल, नेमीचन्द, धर्मीचन्द है। खातेदार श्रोमती गीता देवी का देहान्त सन् 2013 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी की माता श्रीमती गीता देवी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 4404 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश दामादर नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम दामूलाल है। वादी को घर में लाड प्यार से दामोदर पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम दामूलाल लिखा हुआ है। जब वादी की माता श्रीमती गीता देवी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 4404 में भूलवश या त्रुटीवश वादी का नाम दामोदर लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम दामूलाल है। वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बंक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पट्टा विलेख, आर.एस. आर.टी.सी. कार्ड, दसवी मार्कशीट का बार्ड प्रमाण पत्र सन् 1974 आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम दामूलाल लिखा हुआ है और जमाबन्दी में दामोदर लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने दामोदर के स्थान पर दामूलाल नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी दाम्लाल एवं दामोदर एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि दावे के [illegible] खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested

या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दामोदर नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से दामोदर पुकारते है, इस कारण वादी की माता श्रीमती गीतादेवो का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी का नाम दामोदर दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज दामूलाल नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 2.7991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1761 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1767 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1770 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1771 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1772 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1773 रकबा 0.6148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1776 रकबा 2.9043 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1778 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1779 रकबा 5.0401 हैक्टेयर कुल खसरे 16 कुल रकबा 19.6263 हैक्टयर के संयुक्त राजस्व रेकर्ड में दामोदर पुत्र नारायणराम के स्थान पर दामूलाल पुत्र नारायणलाल की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम दामोदर के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर दामूलाल का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या–1 को तरफ से श्री महेन्द्र सिंह राठोड़ अधिवक्ता उपस्थित हुए एव जवाब पेश किया जो जवाब के तथ्य इस प्रकार ह कि ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1759, 1760, 1761, 1762, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779 कुल खसर 16 कुल रकबा 19.6263 हैक्टैयर के संयुक्त राजस्व रेकर्ड में दामोदर पुत्र नारायणराम के स्थान पर दामुलाल पुत्र नारायणलाल की भूमि घोषित की जाती है जिसकी कोई आपति नहीं ह। अन्त म जवाब दावा पेश कर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किय जाने का निवेदन किया प्रतिवादी संख्या–2 सरकारी पेरोकार ने जवाब पेश किया की दावे क पद संख्या 1 मं वर्णित भूमि में दामोदर पुत्र नारायणराम के स्थान पर दामूलाल पुत्र नारायणलाल को राजस्व रेकर्ड म इन्द्राज किया जाता है तो कोइ आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से दावा को स्वीकार करने क कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली ध्यानपूवक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकियात की आवश्यकता नही रही। वादी ने दाव के साथ जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1759, 1760, 1761, 1762, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड, पट्टा विलेख, आर.एस.आर.टी.सी. कार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड आदि को पेश किया है। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम दामूलाल दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी की खातेदारी दामोदर पुत्र नारायणराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दामूलाल पुत्र नारायणलाल की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ने रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमती प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अ[illegible]की किया जाकर ग्राम खारिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested

मिठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 2.7991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1761 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1767 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1770 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1771 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1772 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1773 रकबा 0.6148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1776 रकबा 2.9043 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1778 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1779 रकबा 5.0401 हैक्टेयर कुल खसरे 16 कुल रकबा 19.6263 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दामोदर पुत्र नारायणराम के स्थान पर दामूलाल पुत्र नारायणलाल की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पचा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक
कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
दामूलाल पुत्र नारायणलाल जाति बाह्मण निवासी खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. नेमीचन्द पुत्र नारायणलाल जाति बाह्मण निवासी खारिया मिठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 100/2021

निर्णय **दिनांक** :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से महेन्द्र सिह राठौड़ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। ग्राम खारिया मिठापर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 2.7991 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1761 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1767 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1769 रकबा 0. 6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1770 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1771 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1772 रकबा 0.3883 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1773 रकबा 0.6148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1776 रकबा 2.9043 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1778 रकबा 4.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1779 रकबा 5.0401 हैक्टेयर कुल खसरे 16 कुल रकबा 19.6263 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दामोदर पुत्र नारायणराम के स्थान पर दामूलाल पुत्र नारायणलाल की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खचा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नाट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested